कृषि विश्वविद्यालय, कोटा

AGRICULTURE UNIVERSITY, KOTA

अशैक्षणिक पदों के लिए रोजगार विज्ञप्ति

विज्ञापन संख्या कृविको/2017/03/8321 दिनांक 12.10.2017

कृषि विश्वविद्यालय, कोटा में निम्नलिखित अशैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती हेतु ऑनलाइन आवदन पत्र आमंत्रित किए जाते हं, जिसका विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वैबसाइट **http://aukota.org** अथवा **http://aukiums.com** पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की सुविधा दिनांक **23.10.2017** को प्रातः **10:00** बजे से प्रारम्भ होगी एवं दिनांक **30.11.2017** को सांय **04:59** बजे तक जारी रहगी। आवेदकों को ऑनलाइन भरे हुए आवेदन पत्र की एक प्रति **(Hard Copy)** स्वयं के पास रखनी होगी जो आवश्यकतानुसार बाद में देनी होगी। आवेदन का निर्धारित शुल्क, विभिन्न पदों की योग्यता, परीक्षा की योजना (यदि लागू हो तो) एवं अन्य विवरण विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर उपलब्ध है।

इस विज्ञापन द्वारा भर्ती किए गए कर्मचारियों को विश्वविद्यालय की किसी भी इकाई में पदस्थापित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय के पास विज्ञापित पदों को घटाने/बढ़ाने, उन्हे भरने या न भरने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। किसी भी प्रकार क विवाद के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर (राजस्थान) अधिकृत रहेगा।

विज्ञापित पदों का विस्तृत विवरण :

क्र. स.	पद का नाम	वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड पे	कुल पद	अनारक्षित		अ.पि.व.		अ.जा.		अ.ज़.जा.	
				सा.	म.	सा.	म.	सा.	म.	सा.	म.
1.	तकनीकी सहायक **Technical Assistant** दो वर्ष परिवोक्षा काल में देय मानदेय राशि रू 14640 प्रति माह	**9300–34800** ग्रेड पे रू **4200**	**20**	**6**	**3**	**5**	**2**	**3**	**1**	**-**	**-**
2.	प्रयोगशाला सहायक **Laboratory Assistant** दो वर्ष परिवीक्षा काल में देय मानदेय राशि रू 11820 प्रति माह	**5200–20200** ग्रेड पे रू **2800**	**8**	**4**	**2**	**1**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**
3.	कृषि पर्यवेक्षक **Agriculture Supervisor**	**5200–20200** ग्रेड पे रू	**10**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

	दो वर्श परिवीक्षा काल में देय मानदेय राशि रू 8910 प्रति माह	2400								
4.	विधि सहायक **Legal Assistant** दो वर्श परिवीक्षा काल में देय मानदेय राशि रू 13200 प्रति माह	9300–34800 ग्रेड पे रू 3600	1	1	-	-	-	-	-	-	-
5.	सूचना सहायक **Informatics Assistant** दो वर्श परिवीक्षा काल में देय मानदेय राशि रू 11820 प्रति माह	5200–20200 ग्रेड पे रू 2800	1	1	-	-	-	-	-	-	-
6.	मेट्रन **Matron** दो वर्श परिवीक्षा काल में देय मानदेय राशि रू 11820 प्रति माह	5200–20200 ग्रेड पे रू 2800	1	-	1	-	-	-	-	-	-
7.	बुक लिफ्टर /**Shelf Assistant** दो वर्श परिवीक्षा काल में देय मानदेय राशि रू 6670 प्रति माह	5200–20200 ग्रेड पे रू 1700	1	1	-	-	-	-	-	-	-
8.	फॉरेस्ट गार्ड **Forest Guard** दो वर्श परिवीक्षा काल में देय मानदेय राशि रू 7790 प्रति माह	5200–20200 ग्रेड पे रू 2000	2	2	-	-	-	-	-	-	-
9.	पुस्तकालय सहायक **Library Assistant** दो वर्श परिवीक्षा काल में देय मानदेय राशि रू 8910 प्रति माह	5200–20200 ग्रेड पे रू 2400	1	1	-	-	-	-	-	-	-
10.	वाहन चालक **Driver** दो वर्श परिवीक्षा काल में देय मानदेय राशि रू 8910 प्रति माह	5200–20200 ग्रेड पे रू 2400	11	2	1	2	1	2	1	2	-
	योग **Total**		56	19	8	11	4	7	3	3	1

स = सामान्य, म = महिला, अ.पि.व.= अन्य पिछड़ा वर्ग, अ.जा. = अनुसूचित जाति, अ.ज.जा = अनुसूचित जन जाति

कुलसचि

सामान्य निर्देश

1. रोस्टर का ध्यान रखते हुए पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
2. वेतन श्रंखला एवं ग्रेड पे राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार परिवर्तनशील होगी।
3. निम्नलिखित श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क निन प्रकार होगा :

(अ) अनारक्षित श्रेणी एवं अ.पि.व. के क्रीमी लेयर श्रेणी के अभ्यर्थी	रू 600/–
(ब) राजस्थान के नान क्रीमीलेयर के अ.पि.व. के अभ्यर्थी	रू 400/–
(स) राजस्थान के विशेष योग्यजन / अ.जा. / अ.ज.जा. के अभ्यर्थी	रू 200/–

4. **आयु** : अभ्यर्थी की आयु आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक को कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
5. पृथक–पृथक पद हेतु आवेदक को अलग–अलग **ऑनलाइन आवेदन** करना होगा।
6. राजस्थान राज्य के अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व./विशेष पिछड़ा वर्ग/विशेष योग्यजन आदि के अभ्यर्थियों को राजस्थान सरकार की नीति के अनुरूप आरक्षण प्रदान किया जाएगा जिसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अ.पि.व. के अभ्यर्थियों को क्रीमी लेयर उद्शेयार्थ साक्षात्कार होने के छह महीने पहले का वैध जाति/आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. विशेष पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षण, माननीय उच्चतम न्यायालय, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के निर्देशों के अनुरूप प्रदान किया जावेगा।
8. विशेष योग्यजन को आरक्षण राजस्थान सरकार के नियमों के अनुरूप प्रदान किया जावेगा।
9. राजस्थान के मूल निवासी, महिला अभ्यर्थियों (विधवा परित्यक्ता सहित), भूतपूर्व सैनिकों एवं उत्कृष्ठ खिलाड़ियों को राजस्थान सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप आरक्षण प्रदान किया जावेगा।
10. विज्ञापित किसी भी पद अथवा सभी पदों को न भरने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा। चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर कोई गलती पाई जाती है, तो इसको निरस्त, सुधार व वापस लेने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
11. अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता धारण करने से ही किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार में बुलाने का अधिकार नहीं हो जाता है। तकनीकी सहायक के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या, पदों की संख्या को देखते हुए यदि बहुत अधिक है और विश्वविद्यालय के लिए सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेना सुविधाजनक या संभव न हो तो विश्वविद्यालय को अधिकार है कि वो ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन के पत्रों की छंटनी (स्क्रीनिंग), उच्च योग्यता एवं अनुभव के आधार पर अथवा लिखित परीक्षा के द्वारा कर सकता है (परीक्षा तिथि एवं पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर सूचित किया जायेगा)।

12. प्रयोगशाला सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, पुस्तकालय सहायक, फॉरेस्ट गार्ड, सूचना सहायक, विधि सहायक एवं मेट्रन का चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के अनुसार होगा। परीक्षा तिथि व पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर सूचित किया जाएगा।
13. 01.01.2004 या उसके पश्चात नियुक्त अभ्यर्थियों को राजस्थान सरकार के द्वारा समय समय पर संशोधित नियमों के अनुसार नयी पेंशन स्कीम के अनुसार पेंशन देय होगी एवं इस संबंध में अन्य नियम एफ 13 (1) वित्त / नियम / 2003 दिनांक 06.05.2004 के आदेश के अनुसार लागू होंगे।
14. चयनित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय में कार्य ग्रहण करने कि तिथि से दो वर्ष के लिए परिवीक्षा (probation) पर रखे जायेगें। इस अवधि में उन्हे राज्य सरकार के नियमानुसार स्थिर मानदेय देय होगा। परिवीक्षा काल संतोषजनक पूर्ण करने पर नियमित वेतनमान देय होगा।
15. ऐसे कोई भी अभ्यर्थी जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा लेकिन दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जावेगा, तब तक कि 01 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती है। परंतु यह और की जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाते है। वहाँ बच्चों की संख्या की कुल गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। इस संबंध में समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधन लागू होंगे।
16. अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना किसी भी स्तर पर यदि गलत पाई जाती है तो उसकी सेवायें बिना सूचना के निरस्त की जा सकती है व चयन के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
17. योजना / स्कीम के पद, योजना / स्कीम के समाप्त होने के साथ स्वतः समाप्त माने जायेंगे।
18. योग्यता, जाति एवं अन्य संबन्धित प्रमाण पत्रों की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपियाँ ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अवश्य attach करनी होगी तथा attached प्रतियों की संख्या भी लिखनी होगी।
19. सेवारत अभ्यर्थी अपना आवेदन ऑनलाइन के अतिरिक्त उचित माध्यम द्वारा भी भिजवाएँ। विलंब से बचने के लिए अंतिम तिथि से पहले आवेदन की अग्रिम प्रति भिजवा सकते है।
20. किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों की कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।
21. विज्ञापन से सम्बंन्धित कोई भी संशोधन विश्वविद्यालय की वैबसाइट http://aukota.org/ पर ही अपलोड किया जाएगा।

कुलसचिव